



# हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने यू.पी. की योगी सरकार को भी पीछे छोड़ा

**योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबे के मालिक का नाम “डिसप्ले” करने का अस्थायी आदेश जारी किया था, पर, हिमाचल सरकार ने स्थायी नोटिफिकेशन जारी किया**

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 सितम्बर। कांग्रेस-शासित हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड सरकारों के उन आदेशों का अनुकरण किया है, जिनमें भोजनालयों एवं रेस्टोरेंटों को अपनी आई.डी. प्रदर्शित करने के निर्णय दिये गये थे। हिमाचल सरकार के इस आदेश पर राजनेताओं और ऐक्यिटिवों ने घोर कांक्षा व्यक्त किया है कि तथा सुखिनिंद्र सुखुम् सरकार के स्थायी पर सवाल खड़े किये हैं।

कांवड़-यात्रा के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश की पुनरावृत्ति के अनुर्गत, हिमाचल सरकार ने अदेश रोकने के अदेश जारी किये कि राज्य के भोजनालयों एवं रेस्टोरेंटों को उनके नाम प्रदर्शित करने होंगे। पी.डब्ल्यू.डी. एवं शहरी कांक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश के इसी सिंह ने कहा है कि यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिये जारी किया गया है कि ग्राहकों को किसी प्रकार की क्रिया के एक कदम आगे हैं, उन दोनों सरकारों ने तो अस्थायी आदेश असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

- पर, हिमाचल की सरकार का आदेश अनायास या गलती से नहीं निकला था। हिमाचल में स्थानीय व बाहरी का सवाल व विवाद इन दिनों काफी गर्माया हुआ है और इस तरह की तीन चार “साम्रादायिक” घटनाएं हो चुकी हैं।
- कांग्रेस भी इस बाहरी व स्थानीय विवादों से आँखी नहीं है। एक खेमा रोहिण्या व बांगलादेशीयों को स्वीकार करने के पूर्णतया खिलाफ है। अतः वे ढाबों व थियों के मालिकों का पहचान पत्र “डिसप्ले” करने के पक्ष में हैं।
- दूसरा खेमा इस पहचान पत्र की प्रक्रिया को, कांग्रेस की मूल धर्मनिरपेक्ष सोच के विरुद्ध मानता है।

प्रसंगश्च बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड सरकारों के इन आदेशों पर उस समय स्टेट लगा दिया था, जब कई याचिकाकर्ताओं ने अदालत में यह कहा था कि इस आदेश अदालत के नारे को कांक्षा उत्तराखण्ड के नारे को आदेश पर कर रहे हैं, सुखुम् का उपयोग जारी एवं धर्म के आधार पर भेदभास करने के इसी सिंह ने कहा है कि यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिये जारी किया गया है कि ग्राहकों को एक कदम आगे हैं, उन दोनों सरकारों ने तो अस्थायी आदेश असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

जारी किये थे, जबकि हिमाचल की अधिसूचना स्थानीय है। ऐसे समय, जब राहुल गांधी “मोहब्बत की दुकान” के नारे को कांक्षा उत्तराखण्ड पर राजनामांत्रियों ने लेते हुये प्रचार कर रहे हैं, सुखुम् सरकार का यह आदेश विसर्जित एवं फिर दुकानदार पर राजनामांत्रियों को प्रक्रिया एवं धर्मनिरपेक्ष राजनामांत्रियों को प्रक्रिया एवं धर्मनिरपेक्ष राजनामांत्रियों को प्रक्रिया एवं धर्मनिरपेक्ष सोच के विरुद्ध मानता है।

जारी किये थे, जबकि हिमाचल की अधिसूचना स्थानीय है। ऐसे समय, जब राहुल गांधी “मोहब्बत की दुकान” के नारे को कांक्षा उत्तराखण्ड पर राजनामांत्रियों ने लेते हुये प्रचार कर रहे हैं, सुखुम् सरकार का यह आदेश विसर्जित एवं फिर दुकानदार पर राजनामांत्रियों को प्रक्रिया एवं धर्मनिरपेक्ष राजनामांत्रियों को प्रक्रिया एवं धर्मनिरपेक्ष सोच के विरुद्ध मानता है।

विक्रमादित्य सिंह तथा मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण के लिये दिल्ली तलब किये जायें।

एक दिन-दो मध्यम की खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

इसके पुलिस से जवाब मांगते हुए प्रक्रिया की सुवार्वाई 25 अक्टूबर को तय की है। अदालत ने यह आदेश रोहित जोशी की आपाराकांक्षा याचिका पर आरोप पत्र को रद्द किया।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली

पूर्व मंत्री महेश जोशी के पुत्र को दुष्कर्म केस में फिलहाल राहत नहीं

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है। इसके पुलिस से जवाब मांगते हुए प्रक्रिया की सुवार्वाई 25 अक्टूबर को तय की है। अदालत ने यह आदेश रोहित जोशी की आपाराकांक्षा याचिका पर आरोप पत्र को रद्द किया।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत नहीं दी गई है।

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मालिकों में फिलहाल राहत













